राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(04) राज/वाद/88 पार्ट जयपुर दिनांक 27/01/2019

:: आदेश ::

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य के सभी प्रकरणों की पैरवी करने एवं प्रस्तुत करने के लिए श्री मनीष सिघंवी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगीः–

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता को रू0 44,722/– (अक्षरे) प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी।
2. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों हेतु उनके द्वारा उपगत सभी आनुषांगिक व्यय का नियमानुसार पुनर्भरण प्राप्त करने की अधिकारी होगे।
3. उन्हे मासिक प्रतिधारण (रिटेनरशिप) के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी करने/प्रस्तुतीकरण एवं बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.06.2015 के अनुसार देय होगी।
4. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय–समय पर राज्य सरकार के विरूद्ध संक्षिप्त मामलों तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगें।
5. वे समय–समय पर उन्हें दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होगें।
6. वे निम्नलिखित कार्यों/बातों के लिये विवर्जित (Debar) होगेः–
   (क) राजस्थान राज्य के विरूद्ध सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से,
   (ख) राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में, एवं
   (ग) निजी पक्षकारों/पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थिति होने की सम्भावना हो, सलाह देने से।
7. वे ऐसे आदेशों से भी बाध्य होंगे, जो समय–समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाएगें।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता को टेलीफोन की सुविधा नियमानुसार देय होगी।
9. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय – समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,

ह0

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय उपमुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राजस्थान विधानसभा, जयपुर/सचिव, लोकायुक्त/निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
6. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजस्थान।
7. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. संबंधित अभिभाषक।
11. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
15. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
16. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
17. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
18. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल/एडि0 गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
19. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण जयपुर।
20. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।

27/01/2019

शासन सचिव,विधि

(7)